

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 13.04.2022

मुकदमा न०- 145/2022

निर्णय दिनांक 02.06.2023

जी सी एम एस न० 2022/396

नाहर सिंह

बनाम

खेमचन्द

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2023 को जारी संशोधित प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया ग्राम टोडी में वर्तमान भूमि खसरा न० 373 रकबा 0.8900 है०, खसरा न० 374 रकबा 1.0700 है०, खसरा न० 376 रकबा 0.0500 है कुल किता 3 कुल रकबा 2.0100 है० में वादी एवं प्रतिवादी न० 1 के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2023 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौड़जी से प्राप्त पत्र क्रमांक:- भू.अ. /2023/127 दिनांक 16.01.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 जिसमें वादी नाहर सिंह का प्रस्तावित खाता संख्या 239/1, प्रतिवादी संख्या 1 खेमचन्द का प्रस्तावित खाता संख्या 239/2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 फूलचन्द का प्रस्तावित खाता संख्या 239/3 पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 जिसमें वादी नाहर सिंह का प्रस्तावित खाता संख्या 239/1, प्रतिवादी संख्या 1 खेमचन्द का प्रस्तावित खाता संख्या 239/2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 फूलचन्द का प्रस्तावित खाता संख्या 239/3 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पूर्वा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

देश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
-----	-----------------	------------------------------

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा नं०- 145 /2022
जी सी एम एस नं० 2022 /396
नाहर सिंह

दर्ज दिनांक 13.04.2022
निर्णय दिनांक 02.06.2023

बनाम खेमचन्द
दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदर्ई वल्द ...-...मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 जिसमें वादी नाहर सिंह का प्रस्तावित खाता संख्या 239/1, प्रतिवादी संख्या 1 खेमचन्द का प्रस्तावित खाता संख्या 239/2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 फूलचन्द का प्रस्तावित खाता संख्या 239/3 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.01.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निल..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....निल...
..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....निल...
..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल...
..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज 02 माह 06 सन 2023 को जारी की गई।



रामसिंह राजावत
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुझुनूं)